

प्रेषक,

शिव श्याम मिश्र,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

प्रतापगढ़, हाथरस, सहारनपुर, कासगंज, मैनपुरी, कन्नौज एवं महोबा ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक : 04 जनवरी, 2017

विषय: वर्ष 2016-17 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2016-17 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये धनावंटन हेतु एम0एच0ए0 के पत्र संख्या-32-7/2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 द्वारा जारी गाइड लाइन के आईटम नं0-3(क) के प्राविधान-प्रोविजन फार टेम्परोरी एकोमोडेशन, फूड, क्लोथिंग मेडिकल केयर इटीसी. फार पीपुल अफेक्टेड इवैक्युवेशन, शेल्टेड इन रिलीफ कैम्पस के अनुसार गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु रू0 1,31,70,000/- (एक करोड़ इकतीस लाख सत्तर हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	जनपद का नाम/पत्रांक व दिनांक	कम्बल हेतु आवंटित धनराशि (रूपये में)	अलाव हेतु आवंटित धनराशि (रूपये में)	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रूपये में)
1	प्रतापगढ़, पत्रांक-1366, दिनांक-22.12.2016	25,00,000	2,50,000	27,50,000
2	हाथरस, पत्रांक-838, दिनांक-27.12.2016	20,00,000	--	20,00,000
3	सहारनपुर, पत्रांक-1720, दिनांक-31.12.2016	12,00,000	--	12,00,000
4	कासगंज, पत्रांक-1345, दिनांक-31.12.2016	13,20,000	--	13,20,000

5	मैनपुरी, पत्रांक-708, दिनांक-31.12.2016	25,00,000	2,50,000	27,50,000
6	कन्नौज, पत्रांक-3342, दिनांक-31.12.2016	15,00,000	--	15,00,000
7	महोबा, पत्रांक-560, दिनांक-02.01.2016	15,00,000	1,50,000	16,50,000
योग		1,25,20,000	6,50,000	1,31,70,000
(एक करोड़ इकतीस लाख सत्तर हजार मात्र)				

- 2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेतर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-08-शीतलहरी/पाला हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
- 3- शासनादेश संख्या-1200/1-10-2016-12(34)/03टी0सी0-1, दिनांक 07.11.2016 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(शिव श्याम मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या- 07 (1)/1-10-2017, तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद ।
 - 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
 - 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ ।
 - 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
 - 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, 30प्र0।
 - 6- सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
 - 7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
 - 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
 - 9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शिव श्याम मिश्र)
विशेष सचिव।